न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह चौहान

राजस्व वाद संख्या :– 120/2024

1. गणेशलाल पुत्र कालू
2. जगदीश प्रसाद पुत्र गोपीराम
3. श्रवणी देवी पत्नि गणेशलाल
   समस्त जाति जाट निवासी बस्सी झाझडा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0।
4. चौथी देवी पत्नि हनुमान
5. धापूदेवी पत्नि श्योकरण
   समस्त जाति जाट निवासी बस्सी झाझडा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0।

वादीगण

बनाम

1. उनिता पुत्री श्रवणलाल
2. कमला पत्नि रूडाराम
3. कानाराम पुत्र रूडाराम
4. गलकूदेवी पत्नि ईश्वरलाल
5. पप्पूलाल पुत्र ईश्वरलाल
6. बिरदाराम पुत्र सेडूराम
7. बिलादेवी पुत्री सेडूराम
8. ममता पुत्री श्रवणलाल
9. मोहनलाल पुत्र सेडूराम
10. राधादेवी पत्नि श्रवणलाल
11. रामदेव पुत्र नन्दा
12. रामधन पुत्र श्रवणलाल
13. रामनिवास पुत्र ईश्वरलाल
14. रामलाल पुत्र सेडूराम
15. लालाराम पुत्र सेडूराम
16. शिशपाल पुत्र ईश्वरलाल
17. सुनिता देवी पुत्री श्रवणलाल
18. सीताराम पुत्र नन्दा
19. हनुमान पुत्र सेडूराम
    समस्त जाति जाट निवासी बस्सी झाझडा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0।
20. कमलादेवी पत्नि हीरालाल जाति जाट नि0जाटो की ढाणी बस्सी झाझडा।
21. राजूदेवी पत्नि सरदार सिंह जाति जाट नि0जाटो की ढाणी बस्सी झाझडा तह0 जोबनेर जि0जयपुर।
22. शीलादेवी पत्नि पेमाराम जाति जाट नि0 जाटो की ढाणी बस्सी झाझडा तह0 जोबनेर जि0जयपुर।
23. नारायणी पत्नि जगदीश प्रसाद जाति जाट नि0 गणेशपुरा तह0 जोबनेर जि0जयपुर।
24. नानूडी देवी पत्नि रामदेव जाति जाट नि0 जाटो की ढाणी बस्सी झाझडा तह0 जोबनेर जि0जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

25. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बोबास जरिये प्रबंधक
26. भारतीय स्टेट बैंक शाखा बोबास जरिये प्रबंधक
27. भारतीय स्टेट बैंक शाखा जोबनेर जरिये प्रबंधक
28. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा कालवाड जरिये प्रबंधक
29. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर
30. सब रजिस्ट्रार जोबनेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री सुरेन्द्र कुमार परिहार अधिवक्ता वादीगण
2. श्री सुरेश कुमार शर्मा प्रतिवादी संख्या 2, 21, 22 एवं 24
3. श्री लोकेश कुमार शर्मा प्रतिवादी संख्या 3

—:निर्णय:— दिनांक:—16 / 05 / 2025

वादीगण द्वारा वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0टी0ऐ0 इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0न0 नया—88 पुराना 49 की आराजी ख0न0 34 रकबा 0.6955 हे0, ख0न0 35 / 1 रकबा 2.4531 है0, ख0न0 41 रकबा 1.9997 है0, ख0न0 44 रकबा 1.3151 है0, ख0न0 45 रकबा 2.2129 है0, ख0न0 46 रकबा 3.0348 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 11.7093 है0 है तथा इसी प्रकार खाता सं0नया 90 पुराना 49 की आराजी ख0न0 26 रकबा 0.7587 है0, ख0न0 33 रकबा 1.0242 है0 किता दो कुल रकबा 1.7829 है0 है। जो उपरोक्त आराजीयात वाकै ग्राम बस्सी झाझडा पटवार हल्का बोबास भू0अभि0नि0 क्षेत्र आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान मे स्थित है। जो प्रतिवादी सं01ल024 के संयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज है। जिसमे वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 01 ल0 24 का हिस्सा राजस्व रिकोई जमाबंदी मे अंकित है। जिसके अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं01ल024 अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है।

उपरोक्त वर्णित आराजीयात का वादीगण व प्रतिवादी सं01ल024 ने मनबट के आधार पर अपने बुजुर्गान के समय से ही वादग्रस्त भूमि का पारस्परिक सहमति से मौके के कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन कर लिया था तभी से मौके पर अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं01ल024 ने अपने हिस्से मे आयी भूमि पर आवासीय मकान भी बना रखे तथा वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि को काफी उन्नत व विकसित कर रखा है। किन्तु वादीग्रस्त भूमि का मौके के कब्जे काश्त के अनुसार विधिक रूप से विभाजन नही होने से आयेदिन कब्जे काश्त एवं सींव मेड को लेकर वाद विवाद होने की संभावना बनी रहती है तथा विधिक रूप से विभाजन नही होने से अपने अपने हिस्से को उन्नत व विकसित

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

करने एवं ऋण इत्यादि लेने मे भी भारी असुविधाओ का सामना करना पड़ा है। जिसके कारण वादीगण ने प्रतिवादी सं01ल024 को कई बार वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से मौके के कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन करवाने के लिए कहा तो वे टालमटोल करते आये है एव वादीगण को विश्वास देते रहे है कि समय मिलते ही उक्त भूमि का विधिक रूप से विभाजन करवा देगे जिसकी वजह से वादीगण उनके विश्वास मे चले आ रहे है। किन्तु आजकल प्रतिवादी सं01ल024 वादीगण से मनमुटाव रखने लग गये है तथा जब वादीगण ने उनको विधिवत रूप से भूमि का विभाजन करवाने के लिए कहा तो कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब भी नहीं देते है।

वर्तमान मे जमीनो की कीमत बढ जाने से प्रतिवादी सं01ल024 की नियत मे फितूर आया हुआ है और वे मनचाही जगह भूमि पर कब्जा करके निर्माण करने एवं भूमि का मनचाही जगह से बेचान करने पर आमादा है इसी आशय से प्रतिवादी सं01ल024 दिनांक 13.10.2024 को वादग्रस्त भूमि मे मनचाही जगह अपना कब्जा बताते हुये वादग्रस्त भूमि को बेचान करने का सौदा करने लगे जिस पर वादीगण ने उनको ऐसा करने से मना किया और विधिक रूप से विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादी सं01ल024 ने इंकार कर दिया और मनचाही जगह कब्जा करके वादीगण को बेदखल करने एवं बेचान करने एवं मनचाही जगह निर्माण करने की धमकी दी। इसलिए वादीगण को अपने हक व अधिकारो की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रतिवादीगण अपने उद्वेश्य मे सफल हो गया और मनचाही जगह भूमि पर कब्जा करते हुये बिना विधिक भूमि करवाये भूमि का बेचान कर निर्माण कर लिया गया एवं वादग्रस्त भुमि की किस्म को परिवर्तन कर दिया या प्रतिवादीगण ने वादीगण को मौके के कब्जे काश्त से बेदखल कर दिया तो वादीगण अपने हक व हिस्से एवं उन्नत व विकसित की गई भूमि से वंचित हो जायेगे वादीगण को अनावश्यक मुकदमे बाजी बढेगी व कानूनी पैचेदगीयां उत्पन्न हो जायेगी। ऐसी स्थिति मे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्र्टड एडी0 की गयी। प्रतिवादी संख्या 2, 21, 22 एवं 24 मय अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय में उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 01, 08 लगायत 10, 12 लगायत 20, 23, 26 लगायत 30 के विरूद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

बहस अधिवक्ता उपभपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता वादी एवं अधिवक्ता प्रतिवादी 2, 21, 22 एवं 24 द्वारा वादीगण का वाद प्रतिवादी 2, 21, 22 एवं 24 की भूमि रास्ते में समल्लित नहीं करने तथा प्रत्येक खातेदार को आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराते हुए वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद मुताबिक वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादी का वाद मुताबिक वाद पत्र के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार एवं प्रत्येक खातेदार को आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराते हुए कब्जे को प्राथमिकता देते हुए दिनांक 29.11.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार, जोबनेर द्वारा दिनांक 09.01.2025 को कुरेजात तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये गय।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के पत्रांक आर.ए.ए. /07/25/353 दिनांक 01.01.2025 द्वारा पत्रावली तलब की गयी। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के पत्रांक आर.ए.ए./2025/5461 दिनांक 28.03.2025 द्वारा पत्रावली पुनः इस निर्देश के साथ प्राप्त हुई कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक निर्णय व डिक्री के माध्यम से सहखातेदारों के हिस्से की घोषणा अर्थात दर्ज हिस्से अनुसार कुरेजात तैयार करने के आदेश प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री उचित प्रतीत होने से उसमे कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सभी अन्तिम निर्णय व डिक्री होना शेष है। ऐसे में उभयपक्षों की सुनवाई कर पुनः नवीन सिरे से उभयपक्षों की मौजूदगी में जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार कुरेजात तैयार करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रकरण इसी स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकरान की उपस्थिति में प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदारान के हिस्से अनुसार कुरेजात तैयार करने हेतु तहसीलदार को निर्देश प्रदान कर बाद प्राप्ति कुरेजात रिपोर्ट पर पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर वाद में अन्तिम निर्णय पारित कि जावे।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर से पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली पुनः दर्ज की गयी एवं निर्णय दिनांक 18.03.2025 की पालना में पुनः कुरेजात तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जोबनेर को निर्देशित किया गया। तहसीलदार जोबनेर द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

निर्णय की पालना में दिनांक 05.05.2025 को कुरेजात न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।

तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात पर प्रार्थी/पवादी संख्या 02 संख्या द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है:- तहसीलदार महोदय जोबनेर द्वारा आदेश क्रमांक/कोर्ट/राजस्व/05, 06 दिनांक 02.04.2024 की पालना में तैयार की गई कुरेजात रिपोर्ट प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 2 की अनुपस्थिति में तैयार की गई है और ना ही प्रार्थी/वादी सं0 2 के उक्त रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये है। विभाजन प्रस्ताव में जो खसरा नंबर 39डी को दो व्यक्तियो को एक ही खसरा नंबर दिये गये है जो कि 39डी प्रार्थी/वादी संख्या 2 को व 39डी प्रतिवादी संख्या 23 चौथी देवी पत्नि हनुमान को दे दिये गये है। इस प्रकार एक ही खसरा नंबर 39डी मौका रिपोर्ट में दो व्यक्तियों को जारी किये गये है। खसरा नंबर 35/2 जो विभाजन प्रस्ताव से हनुमान पि0 सेडूराम प्रविताादी सं0 22, 17, 16 रामपाल पि0 सेडूराम, बिरदा पि0 सेडूराम, मोहनलाल पि0 सेडूराम, प्रविताादी संख्या 11, प्रतिवादी सं0 9, प्रतिवादी सं0 3, प्रतिवादी सं0 20, प्रतिवादी सं0 10, प्रतिवादी सं0 14, प्रतिवादी स0 12, प्रतिवादी सं0 6 तथा प्रतिवादी सं0 15, प्रतिवादी सं0 19 को दे दिया गया है जबकि उक्त स्थान पर प्रार्थी/वादी सं0 2 का पुख्ता मकान करीब 40 वर्षों से पिता के समय से बना हुआ है जिसकी कीमत वर्तमान में 50 लाख रूपये है तथा एक कुआ भी बना हुआ है जिसका विधुत कनेक्शन प्रार्थी/वादी सं0 2 के पिता के नाम से है। इस प्रकार उक्त खसरा नंबर 35/2 जो विभाजन प्रस्ताव से तैयार करके इसकी जगह प्रार्थी/वादी सं0 2 को खसरा नंबर 35/1/सी दे दिया गया है इस आधारा पर भी पुनः नक्शे कुरेजात पुनः तैयार करके मंगवाया जाना आवश्यक है। खसरा नंबर 41/सी, प्रतिवादी सं0 13 को, प्रतिवादी सं0 21 को, प्रविताादी सं0 5 को, प्रविताादी सं0 4 को दे दिया गया है। जबकि उक्त खसरा नंबर में प्रार्थी/वादी संख्या 2 ने अपना पौण्ड बना रखा है। जो कि उक्त खसरा नंबर 41/सी से विभाजन प्रस्ताव/मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त व्यक्तियो के चला गया है जो कि मौके की वास्तविक स्थिति से विपरीत जाकर उक्त नक्शे कुरेजात तहसीलदार महोदय द्वारा नक्शे कुरेजात तैयार किये गये है। प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 2 ने एक बोंरिग मय विधुत कनेक्शन बना रखा है जो भी विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खसरा नंबर 44 बी तैयार करके रामदेव, सीताराम, कानाराम, कमला देवी को दे दिया गया है। विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट जो कि वाद पत्र में वर्णित खसरा नंबरो के तैयार किये गये है वह आने जाने हेतु बिना रास्ते कायम किये ही तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव से जो खसरा नंबर 41/सी, 44/बी, 45/बी, 46/बी रामदेव पिता नन्दा, सीताराम पुत्र नन्दा, कानाराम पुत्र रूडाराम, कमला पत्नि रूडाराम को दिये गये है जबकि उक्त खसरा नंबरो के स्थान पर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

उपरोक्त व्यक्तियों को कोई कब्जा काश्त नहीं है। विभाजन प्रस्ताव में जो खसरा नंबर 1 तैयार करके नाम खातेदार कॉलम में जिन खातेदारों का नाम दिया गया है उनका किसी का भी कोई कब्जा काश्त नहीं है और ना ही खसरा नंबर 1 जो तैयार किया गया है उस पर प्रार्थी/वादी सं0 2 का कोई कब्जा काश्त नहीं है बल्कि उपरोक्त जगह रामकरण निठारवाल व बिरदाराम निठारवाल पुत्रान साधूराम का कब्जा काश्त है इस प्रकार बिना कब्जे काश्त के ही उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव/मौका रिपोर्ट पेश की गई है जो कि निरस्त कि जाने योग्य है प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 2 की भूमि रामदेव, सीताराम, कमली, कानाराम के कब्जे काश्त में है जो कि बुजुर्गान के समय से 50 साल पहले से कब्जे काश्त में है इस प्रकार बिना कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है जो निरस्त कर पुनः कुरेजात मंगवाया जाना आवश्यक है।

अतः आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौका रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव निरस्त कर पुनः मौका रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव सभी खातेदारो की उपस्थिति में तैयार करवाये जाकर मंगवाये जाने की कृपा करें।

आपत्ति प्रार्थना पत्र की प्रति अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी को दिलाई गयी। अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करे सिधे बहस हेतु निवेदन किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी/वादी सं0 2 द्वारा अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों का ही दौहरान करते हुए तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 05.05.2025 को निरस्त कर पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने हेु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 18.03.2025 की पालना जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदारान के हिस्से अनुसार तैयार कर पेश किये गये। प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र तथा इसी आराजीयात से संबंधित अन्य वाद पत्र जिसमें प्रार्थी प्रतिवादी है, में भी मौके कब्जे के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निवेदन किया गया है। उक्त दोनों वाद पत्र में कही भी यह अंकित नहीं किया गया है कि किस खसरा नंबरान पर कौन पक्षकार काबिज है। यदि प्रार्थी/वादी संख्या 2 को कुरेजात बनाने पर आपत्ति थी, तो कुरेजात तैयार करते समय तहसीलदार महोदय के समक्ष आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। अतः प्रार्थी/वादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे एवं अप्रार्थी/वादी का वाद मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट अंतिम डिक्री फरमाया जावे।

हमने बहस वकील फरीकेन पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्राप्त कुरेजात की

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

अवलोकन किया गया। प्रकरण में पूर्व में तहसीलदार जोबनेर द्वारा कुरेजात दिनांक 09.01.2025 को प्रस्तुत किये गये थे। जिसके संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की गयी कि प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदारान के हिस्से अनुसार कुरेजात तैयार करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया जावे एवं प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जावे। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार जोबनेर द्वारा कुरेजात तैयार दिनांक 05.05.2025 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वाद पत्र में कही भी यह अंकित नहीं है कि कौनसे खसरा नंबरान पर कोन काश्ताकर काबिज है। पक्षकारान द्वारा मौखिक सहमति से विवादीत भूमि का बटवारा किया जाकर कब्जे काश्त के अनुसार माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय के अनुसार ही तहसीलदार जोबनेर द्वारा पक्षकारान के कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए कुरेजात तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये है। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदारान के हिस्से अनुसार ही कुरेजात तैयार किये गये है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा भी यही निर्देशि प्रदान किये गये है। अतः प्रार्थी/वादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से खारिज किया जाता है। तथा वादी का वाद तहसीलदार जोबनेर द्वारा दिनांक 05.05.2025 को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 05.05.2024 निर्णय का भाग रहेंगे।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर, जिला-जयपुर

वाकै ग्राम बस्सी झाझडा

क.स	नाम खातेदार	खसरा	रकबा	किस्म
1	गणेश पि. कालू हि. 1/6 जाट राहिन बी.ओ.बी. बोबास हनुमानलाल पि. सेडूराम जाट 1/32 लालाराम पि. सेडूराम जाट 1/32 रामलाल पि. सेडूराम जाट 1/32 बिरदाराम पि. सेडूराम जाट 1/32 मोहनलाल पि. सेडूराम जाट 1/32 बीलादेवी पुत्री सेडूराम जाट 1/32 उनिता पुत्री श्रवणलाल जाट 1/160 रामधन पि. श्रवणलाल जाट 1/160 सुनिता पुत्री श्रवणलाल जाट 1/160 ममता पुत्री श्रवणलाल जाट 1/160 राधादेवी पत्नी श्रवणलाल जाट 1/160 गलकु पत्नी ईश्वरलाल जाट 1/128 पप्पूलाल पि. ईश्वरलाल जाट 1/128 रामनिवास पि. ईश्वरलाल जाट 1/128 शिशपाल पि. ईश्वरलाल जाट 1/128 रामदेव पि. नन्दा जाट 1/12 राहिन बी.ओ.बी. बोबास कमला पत्नी रूडाराम जाट 1/24 राहिन बी.ओ.बी.	1	0.5184	बारानी 3

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

	बोबास सीताराम पि. नन्दा जाट 1/12 राहिन बी.ओ.बी. बोबास कानाराम पि. रूडाराम जाट 1/24 राहिन बी.ओ.बी. बोबास जगदीश प्रसाद पि. गोपीराम जाट 1/4 राहिन एस.बी. आई. जोबनेर श्रवणी पत्नी गणेशलाल जाट 1/12 राहिन बी.ओ.बी. बोबास			
		किता–01	0.5184	
2	चौथीदेवी पत्नी हनुमान 1/2 जाति जाट राहिन हि. 1/2 बी.ओ.बी. बोबास धापू देवी पत्नी श्योकरण 1/2 जाति जाट राहिन 1/2 SBI बोराज	28/1/डी	0.4224	बारानी 3
		29/2	0.0126	बारानी 3
		29/1/सी	0.5695	बारानी 3
		36/सी	0.4652	बारानी 3
		37	0.2276	बारानी 3
		38	0.5437	बारानी 3
		39/सी	0.3081	बारानी 3
		40/सी	0.2961	बारानी 3
		43/सी	0.7757	बारानी 3
		46/डी	0.4212	बारानी 3
		47	0.0253	बारानी 3
		48	0.3920	बारानी 3
		36/डी	0.0358	बारानी 3
		35/2/डी	0.0576	बारानी 3
		39/डी	0.4316	बारानी 3
		किता–15	4.9844	
3	रामदेव पि. मांगु हि. 32295/65026 जाट राहिन 32295/65026 एस.बी.आई जोबनेर कमला पत्नी हीरालाल 9758/65026 राहिन 9758/65026 बी.ओ.बी बोबास नानूडी पत्नी रामदेव 4457/65026 राजूदेवी पत्नी सरदारसिंह 9758/65026 राहिन 9758/65026 बी.ओ.बी बोबास शीला पत्नी पेमाराम 9758/65026 राहिन 9758/65026 बी.ओ.बी बोबास	24/2/ए	0.0398	बारानी 3
		26/ए	0.4760	बारानी 3
		27/ए	0.1526	बारानी 3
		33/ए	0.9124	बारानी 3
		34/ए	0.5886	बारानी 3
		35/1/ए	1.1410	बारानी 3
		41/ए	0.7621	बारानी 3
		45/ए	1.7259	बारानी 3
		46/ए	0.7042	बारानी 3
		किता–09	6.5026	
4	रामदेव पि. नन्दा 1/3 जाट राहिन 1/3 बी.ओ.बी बोबास सीताराम पि. नन्दा 1/3 जाट राहिन 1/3 बी.ओ.बी बोबास कानाराम पि. रूडाराम 1/6 जाट कमला पत्नी रूडाराम 1/6 जाट	41/सी	0.5867	बारानी 3
		44/बी	1.0640	बारानी 3
		45/बी	0.4870	बारानी 3
		46/बी	0.9282	बारानी 3
		किता–04	3.0659	
5	जगदीश प्रसाद पि. गोपीराम राहिन एस.बी.आई जोबनेर नारायणी पत्नी जगदीश प्रसाद राहिन एस.बी.आई जोबनेर	35/1/सी	0.1774	बारानी 3
		41/बी	0.6491	बारानी 3
		39/डी	0.0522	बारानी 3
		40/ए	0.5731	बारानी 3
		43/ए	0.4338	बारानी 3
		44/ए	0.2511	बारानी 3
		46/सी	1.2320	बारानी 3
		किता–07	3.0659	
6	हनुमान लाल पि. सेडूराम जाट 1/8 लालाराम पि. सेडूराम जाट 1/8 रामपाल पि. सेडूराम जाट 1/8 बिरदाराम पि. सेडूराम जाट 1/8 मोहनलाल पि. सेडूराम जाट 1/8	28/1/ई	0.0089	बारानी 3
		29/1/ए	0.0444	बारानी 3
		30/बी	1.4287	बारानी 3
		31/बी	0.0558	बारानी 3
		34/बी	0.1069	बारानी 3

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

	बीलादेवी पुत्री सेडूराम जाट 1/8 उनिता पुत्री श्रवणलाल जाट 1/40 सुनिता पुत्री श्रवणलाल जाट 1/40 ममता पुत्री श्रवणलाल जाट 1/40 रामधन पिता श्रवणलाल जाट 1/40 राधादेवी पत्नी श्रवणलाल जाट 1/40 गलकु पत्नी ईश्वरलाल जाट 1/32 पप्पूलाल पि. ईश्वरलाल जाट 1/32 रामनिवास पि. ईश्वरलाल जाट 1/32 शिशपाल पि. ईश्वरलाल जाट 1/32	35/2 35/1/बी 36/ए	0.0126 1.0771 0.3315	बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3
		किता–08	3.0659	
7	गणेशलाल पि. कालू राहिन बी.ओ.बी बोबास श्रवणी देवी पत्नी गणेशलाल राहिन बी.ओ.बी बोबास	24/2/बी 26/बी 33/बी 32 27/बी 19/2 22 21/2/ए 21/2/सी 28/2 28/1/ए 28/1/सी 31/ए 30/ए	0.0614 0.2827 0.1118 0.6323 0.1888 0.1265 0.3414 0.0639 0.8393 0.0126 0.7965 0.7040 0.1845 0.1266	बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3
8	गणेशलाल पि.कालू जाट 1/4 राहिन 1/4 बी.ओ.बी बोबास हनुमानलाल पि. सेडूराम जाट 1/48 लालाराम पि. सेडूराम जाट 1/48 रामलाल पि. सेडूराम जाट 1/48 बिरदाराम पि. सेडूराम जाट 1/48 मोहनलाल पि. सेडूराम जाट 1/48 बीलादेवी पुत्री सेडूराम जाट 1/48 उनिता पुत्री श्रवणलाल जाट 1/240 रामधन पि श्रवणलाल जाट 1/240 सुनिता पुत्री श्रवणलाल जाट 1/240 ममता पुत्री श्रवणलाल जाट 1/240 राधा पत्नी श्रवणलाल जाट 1/240 गलकु पत्नी ईश्वरलाल जाट 1/192 पप्पूलाल पि. ईश्वरलाल जाट 1/192 रामनिवास पि. ईश्वरलाल जाट 1/192 शिशपाल पि. ईश्वरलाल जाट 1/192 रामदेव पि. नन्दा जाट 1/18 राहिन 1/18 बी.ओ.बी बोबास सीताराम पि. नन्दा 1/18 जाट राहिन 1/18 बी.ओ.बी बोबास कानाराम पि.रूडाराम 1/18 जाट राहिन बी.ओ.बी बोबास जगदीश प्रसाद पि. गोपीराम 1/6 जाट राहिन 1/6 एस.बी.आई जोबनेर चौथी पत्नी हनुमान 1/8 जाट राहिन 1/8 बी.ओ.बी बोबास धापुदेवी पत्नी श्योकरण 1/8 जाट राहिन एस.बी.आई बोराज	21/2/बी 28/1/बी 29/1/बी 36/बी 39/बी 40/बी 43/बी 46/ई किता–8	0.0325 0.0535 0.0310 0.0400 0.0300 0.0412 0.0550 0.0520 0.3352	बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते हैं कि मुताबिक डिक्री कुरेजात दिनांक 05.05.2025 राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार के द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखे गये हिस्से को उसके खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। बैंक का रहन खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री तहरीर जारी की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 05.05.2025 निर्णय का भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को टंकित कराया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर, जिला-जयपुर